



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59486

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6224/2026

फैसल उर्फ फैजल खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: मोहम्मद जुबैर

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए., सुष्मिता त्रिपाठी

न्यायालय संख्या- 65

(309 में से 62वां क्रम)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित कर दी गई है। जैसा कि विद्वान एजीए ने सूचित किया, मुखबिर को 13.02.2026 को नोटिस तामील किया गया था, लेकिन मुखबिर की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मोहम्मद जुबैर और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की अधिवक्ता श्रीमती सुष्मिता त्रिपाठी की बात रखने वाले अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला और राज्य की तरफ से अधिवक्ता ए.जी.ए. श्री दीपक कुमार सिंह को सुना और अभिलेख में रखी गई सामग्री को भी देखा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक **मुकदमा अपराध संख्या 766/2025, धारा 64(1) बीएनएस और धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना -कोतवाली नगर, जिला -बांदा** में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए इल्जाम से उसका कोई वास्ता नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि पीड़िता की सहमति थी, जैसा कि बीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज उसके बयान से स्पष्ट है। कहा जाता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ इस बहाने शारीरिक संबंध बनाए कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में उसने उससे बात करना बंद कर दिया और आरोपी के परिवार वालों ने उसे गालियां दीं। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता अपने रूप-रंग से बालिग प्रतीत होती है, हालांकि अस्थि-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 17 वर्ष है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में आवेदक को ऊपरी तरफ दो साल की छूट दी जा सकती है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 03.12.2025 से जेल में है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गई दलीलों और इस तथ्य पर विवाद करने में असमर्थ रहे कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. पीड़ित की आयु के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा *जया माला बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (1982) 2 एससीसी 538 और मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी सरकार), (2011) 10 एससीसी 192* में दिए गए फैसले के आलोक में, आवेदक को ऊपरी तरफ दो साल की छूट दी जा सकती है, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि रेडियोलॉजिस्ट जन्म की सही तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बल्कि दोनों तरफ 1 से 2 साल का लंबा अंतर होता है।

10. *प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2019 (9) एससीसी 608 और अंसार मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 886* में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी का झूठा वादा करके किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं कहा जा सकता है।

11. मामले के तथ्यों और हालात, दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले और पीड़ित की उम्र और धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के बयान को ध्यान में रखते हुए, जिससे पता चलता है कि आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति थी, *पहली नजर* में मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का सही मामला है। जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

12. **फैसल उर्फ फैजल खान** नाम के आवेदक को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलके और दो जमानतदारों को पेश करने पर जमानत पर छोड़ा जाता है, जमानतदारों के सत्यापन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के बाद, इस शर्त पर कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं डराएगा और ज़रूरत पड़ने पर विचारण न्यायालय में हाज़िर होगा।

13. किसी भी शर्त के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ज़मानत रद्द हो जाएगी। यहां की टिप्पणियां गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

23 मार्च 2026

सिद्धांत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”